भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3639

सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण 1948 (शक)

ग्रामीण मजदूरी सांख्यिकी का संकलन

†3639. **श्री वी. वैथिलिंगम:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ग्रामीण मजदूरी के आंकड़ों और श्रम बाजार संकेतकों के संकलन के लिए अपनाई गई पद्धति में श्रम ब्यूरो द्वारा किए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है कि पुडुचेरी सहित राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में मजदूरी की प्रवृत्ति सरकारी श्रम आंकड़ों में पर्याप्त रूप से परिलक्षित हो;

(ग) हाल ही की अवधि के दौरान पुडुचेरी और अन्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दर्ज की गई ग्रामीण मजदूरी वृद्धि का ब्यौरा क्या है और इसमें किन-किन कारकों का योगदान है;

(घ) सरकार रोजगार, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा नीतियां तैयार करने के लिए मजदूरी आंकड़ों का किस प्रकार उपयोग करती है; और

(ङ) देशभर में श्रम बाजार आंकड़ा प्रणाली को सुदृढ़ करने और ग्रामीण कामगारों की आय में वृद्धि और आजीविका सुरक्षा को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो, ने कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल/आरएल) 2019=100 हेतु प्रतिदर्श गांवों में तदनुरूपी परिवर्तन के अनुरूप, प्रतिदर्श गांवों का विस्तार करके तथा पुदुचेरी सहित अतिरिक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिदर्श के भीतर शामिल करके अपने प्रतिनिधित्व में सुधार करने के लिए जुलाई, 2025 से 25 चयनित व्यवसायों के लिए ग्रामीण मजदूरी दर श्रृंखला के संकलन संबंधी कार्यपद्धति को संशोधित किया।

जारी–2/--

श्रम के समवर्ती सूची में होने के कारण, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने, उसकी समीक्षा करने और संशोधित करने के लिए सशक्त हैं। इसके अलावा, कामगारों की अधिकांश श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मजदूरी संहिता, 2019 और पूर्ववर्ती न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अब संहिता के अंतर्गत समाहित) के उपबंधों के अनुसार किया जाता है।

राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में मजदूरी दरों में भिन्नता श्रम की स्थानीय मांग और आपूर्ति की स्थितियों, मौसमी गतिविधि, क्षेत्रीय आर्थिक स्थितियों इत्यादि जैसे कारकों के कारण होती है।

नि:शक्तता हित लाभ, सामाजिक सुरक्षा अंशदान, कौशल अंतर की पहचान इत्यादि के निर्धारण के लिए मजदूरी दरों के आँकड़ें महत्वपूर्ण सूचना होते हैं।

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के समन्वय से देश में रोजगार के अवसर और आजीविका सृजन के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। इनमें से कुछ योजनाओं के नाम विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), आजीविका -राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), पीएम- स्वनिधि योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पीएम विश्वकर्मा योजना, उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) हैं।
